

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012

संख्या: 53(2)/18-मा.स./एनएससी

दिनांक 28.10.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दर में संशोधन ।

उपरोक्त विषय पर दिनांक 10.08.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्लूय-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.-XII/21 दिनांक 27.10.2021 के अनुसार लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2021 एवं 01.10.2021 से औद्योगिक मंहगाई भत्ते का निम्नानुसार भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

प्रभावी तिथि

संशोधित मंहगाई भत्ते की दर

(प्रतिशत)

01.07.2021

24.70%

01.10.2021

27.20%

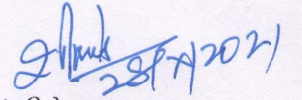
उपर्युक्त की अनुपालना में, लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्लूय-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.-XII/21 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा डी.पी.ई के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्लूय-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.-II/21 दिनांक 02.08.2021 के अनुसरण में मुख्यालय से जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.08.2021 का अधिक्रमण करते हुए एवं दिनांक 01.04.2021 को आधार मानते हुए दिनांक 01.07.2021 से 24.7% की दर से औद्योगिक मंहगाई भत्ता देय रहेगा।

तदनुसार, दिनांक 01.10.2021 से 27.2% की दर से औद्योगिक मंहगाई भत्ता देय रहेगा।

उपर संदर्भित लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017, 07.09.2017 तथा 24.11.2017 के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता पाने वाले कर्मचारियों जिनके वेतन 01.01.2017 से संशोधित किए गए हैं के मामले में ये दरें लागू होंगी

देय मंहगाई भत्ते के भाग के रूप में शामिल 50 पैसे और उससे अधिक को अगले पूर्ण रूपरे के रूप में मान लिया जायेगा और 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा।

उपर संदर्भित दर लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन डब्लूय-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.-XII/21 दिनांक 27.10.2021 के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता की दरें उन कर्मचारियों / अधिकारियों जिनके वेतन दिनांक 01.01.2017 से संशोधित किए गए हैं, के मामले में लागू होंगी।



(शीलेन्द्र कुमार)

अपर महा प्रबन्धक (मा. सं.)

प्रतिलिपि:

1. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रक्षेत्र प्रबन्धक, एनएससी लिमिटेड।
2. सभी फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी लिमिटेड।
3. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष।
4. सहायक महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/(क.भ.नि.), एन.एस.सी. नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव !
6. निदेशक (वित्त) के निजी सचिव !
7. सूचना तकनीकी विभाग- उचित कार्यावाही हेतु।
8. गार्ड फाइल ।